राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 867वी बैठक दिनांक 11.02.2025 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 867वी बैठक दिनांक 11.02.2025 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :–

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्रीमती आर. उमा माहेश्वरी, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
	P-2/710/2024	1(a)	सतना	लेटेराईट खदान	ToR	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
	P-2/540/2024	1(a)	रतलाम	पत्थर खदान	ToR	जारी किया जाये
	P-2/546/2024	1(a)	सिंगरौली	पत्थर खदान	ToR	जारी किया जाये

1. **प्रकरण क्र P-2/710/2024** परियोजना प्रस्तावक श्री शरद कुमार बसंल आत्मज श्री बसंतलाल बंसल, निवासी– वार्ड नं. 07, नियर इलाहबाद बैंक, पोस्ट जैतवारा, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा लेटेराईट, ऑकर एवं व्हाईट क्ले खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता ऑकर 3000 टन प्रतिवर्ष एवं लेटेराईट 1,50,000 टन प्रतिवर्ष,रकबा 11.655 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 17/1(P), 18, 19/2(P), 19/2(P), 20/1, 20/2(P), 20/3(P), ग्राम बटहरा, तहसील– बीरसिंहपुर, जिला– सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रश्नाधीन प्रकरण का SEIAA द्वारा परीक्षण करने पर निम्नानुसार स्थिति पाई गई :–

I. आवेदक श्री शरद बंसल ने कुल क्षेत्र 11.655 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 17/1(P), 18, 19/2(P), 19/2(P), 20/1, 20/2(P), 20/3(P), ग्राम बटहरा, तहसील– बीरसिंहपुर, जिला– सतना, म.प्र. की म्ब के लिए दिनांक 14.03.2024 को परिवेश पोर्टल 2.0 पर आवेदन किया है। इसमें सम्पूर्ण रकबे 11.655 हेक्टेयर को Non Forest Land बताया है (CAF project detail 6.2) एवं Forest land का रकबा 0.00 (निरंक/Nil) बताया है। आवेदन पत्र के साथ संलग्न ग्राम बटेहरा के खसरों वर्ष 2023 की प्रति में खसरा नम्बर 20/1 रकबा 1.061 हेक्टेयर को म.प्र. शासन, वनभूमि दर्शाया गया है।

ग्राम बटेहरा के खसरा वर्ष 2023–24 में खसरा नम्बर 17/1 रकबा 5.568 हेक्टेयर को खसरे के कॉलम 12 में म.प्र. शासन /दयाराम पिता रामशरण की भूमि बताई गई है। खसरा नम्बर 18 रकबा 3.131 हेक्टेयर का भूमि स्वामी श्री विजय बहादुर पिता रामबहोरी को बताया गया है। खसरा नम्बर

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

19/2 रकबा 2.230 हेक्टेयर श्री छोटेलाल पिता भेल्ला जाति कोल के भूमि स्वामित्व की बताई गई है ।, खसरा नम्बर 20/2 रकबा 0.400 हेक्टेयर दीपक खेमका पिता राजेन्द्र प्रसाद की भूमि है।

आवेदन पत्र में उल्लेखित उपर्युक्त खसरा नम्बरों के रकबा का योग 12.39 हेक्टेयर है। आवेदक द्वारा उक्त रकबे में से 11.655 हेक्टेयर के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है किन्तु 12.39 हेक्टेयर में से कौनसा 11.655 हेक्टेयर रकबा है, इसे खसरा नम्बरों अनुसार पृथक/चिन्हांकित नहीं किया गया।

उपर्युक्त निजी भूमि धारकों से भूमि आवेदक श्री शरद बंसल को अंतरण होने संबंधी अथवा उक्त भूमि का उपयोग विधि संगत अनुबंध के द्वारा श्री शरद बंसल को करने की अनुमति संबंधी कोई दस्तावेज प्रकरण में देखने में नहीं आया है।

प्रकरण में परिशिष्ट–2 पर RQP/पर्यावरण सलाहकार का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। इसमें RQP /पर्यावरण सलाहकार के रूप में श्री अमर सिह यादव (Director) के एवं परियोजना प्रस्तावक के रूप में श्री कार्तिकेय चौरसिया के द्वारा हस्ताक्षर किए हैं। इनके द्वारा आवेदन पत्र में सम्पूर्ण आवेदित क्षेत्र को Non Forest Land बताया है जबकि खसरा नम्बर 20/1 वन भूमि है। इनके द्वारा वन भूमि का तथ्य छिपाया गया है एवं ऐसा प्रतीत होता है कि इनके द्वारा असत्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। शपथ पत्र में श्री कार्तिकेय चौरसिया ने अपने आप को परियोजना प्रस्तावक का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता बताया है किन्तु प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया है जिससे श्री कार्तिकेय को अधिकृत करने की पुष्टि होती हो।

परिशिष्ट–1 में शपथ पत्र श्री शरद कुमार बंसल के द्वारा प्रस्तुत किया है किन्तु शपथ पत्र में हस्ताक्षर श्री कार्तिकेय चौरसिया के है। इस शपथ पत्र को नोटराईज्ड करते समय श्री अमर सिंह यादव (Director) ने श्री कार्तिकेय को शरद कुमार बंसल के रूप में निरूपित किया है जो impersonation की श्रेणी में आता है।

म.प्र. शासन, वन विभाग के ज्ञापन क्र. एफ 5/16/81/10–3 दिनांक 07.10.2022 की कंडिका 2(ग) में उल्लेख है कि "सामान्यतः वनक्षेत्र के बाहर वनक्षेत्र की सीमा से 250 मीटर की दूरी तक कोई उत्खनन पट्टा स्वीकृत नहीं किया जावेगा।" प्रश्नाधीन प्रकरण में तो खसरा नम्बर 20/1 की भूमि वन भूमि है एवं शेष भूमि भी वन सीमा से लगी हुई है।

प्रकरण में संलग्न किए गए दस्तावेज के अनुसार कलेक्टर सतना ने अपने पत्र क्र. 1570/खनिज/2020 सतना दिनांक 11.08.2020 के द्वारा लीज अंतरणकर्ता श्री शरद बंसल आत्मज श्री बसंतलाल बंसल से लीज अंतरणग्राहिता श्री विपिन कुमार के पक्ष में लीज अंतरण के लिए संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. से अनुरोध किया है। उक्त आवेदन पत्र के निराकरण के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **752वी बैठक दिनांक 16.05.2024** में उक्त प्रकरण में SEAC की 745 वीं बैठक दिनांक 30.04.2024 में लिये गये निर्णयानुसार (कार्यवाही विवरण के पृष्ठ कमांक 70) "गौण खनिजों हेतु तैयार किये गये स्टेण्डर्ड टॉर" अनुसार टॉर जारी किये जाने की अनुशंसा की गई है।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

ऐसा प्रतीत होता है कि SEAC ने जल्दीबाजी में निर्णय किया है। **उपर्युक्त उल्लेखित तथ्य गंभीर प्रकृति के है। SEAC द्वारा इनकी अनदेखी की गई है। अतः प्रकरण उक्त तथ्यों को विचारण में लेकर ही पूर्ण** विचारोपरांत निर्णय **लेने हेतु SEAC को भेजा जावे एवं परियोजना प्रस्तावक को भी उक्त तथ्यों पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए SEIAA की बैठक में आहुत किया जावे।**

2. **प्रकरण क्र P-2/711/2024** परियोजना प्रस्तावक मेसर्स आर.के. स्टोन, पार्टन श्री अभिनय सिंह बड़कुल, निवासी– 10/116, पाठक वार्ड, बीना स्टेशन रोड जिला सागर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 60000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.50 हेक्टेयर, खसरा कमांक 463/1, ग्राम बिहरना, तहसील– सागर, जिला– सागर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 752 वी बैठक दिनांक 15.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 752 वी बैठक दिनांक 15.05.2024 में लिये गये निर्णयानुसार तैयार किये गये स्टैण्डर्ड टॉर की अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) सहित प्रकरण में ToR जारी किया जाये, आवेदक को सूचित किया जावे :–

I. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत खसरा पंचशाला दस्तावेज में म.प्र. भूराजस्व संहिता (भू–सर्वेक्षण /भू–अभिलेख) नियम, 2020 के अनुसार भूमि उपयोग चारागाह दर्शित है एवं उक्त भूमि पर बेजा कब्जा होना दर्शित है। चारागाह की भूमि पर प्रश्नाधीन प्ररकण का उत्खनन पट्टा संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा आदेश क्र. 16269 दिनांक 21.11.2023 के द्वारा उत्खनन हेतु स्वीकृत किया गया है। चारागाह की भूमि पर उत्खनन पट्टा स्वीकृत किया जा सकता है अथवा नहीं के संबंध जिला कलेक्टर अभिप्रमाणीकरण करवाकर ईआईए प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाये।**

II. **जिला कलेक्टर (खनिज शाखा) के एलक प्रमाण पत्र क्र. 406/खनिज/2024 दिनांक 01.03. 2024 के अनुसार स्वीकृत खनिज पट्टे के 500 मीटर की परिधि के अंदर दर्शित मानब बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, समशान घाट, तालाब एवं कच्चे रास्ते से नियमानुसार निर्धारित दूरी रखते हुए पर्यावरण संरक्षण के उपयों को ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये।**

III. **खनन कार्य के दौरान उपयोग किये जाने वाले भूमिगत पानी के संबध मे सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।**

IV. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा रैन वाटर हारवेस्टिंग एवं वेस्ट डिसपोजल का विधवत प्लान तैयार कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।**

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य 6 मीटर गहराई या इससे अधिक गहराई/ ब्लास्टिंग, के संबध में पूर्व नियमानुसार DGMS की अनापत्ति प्राप्त ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

3. प्रकरण क्र P-2/633/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स गोविन्द कन्ट्रक्शन, प्रो. श्री भूपेन्द्रपाल छावड़ा आत्मज श्री केशर सिंह छावड़ा, निवासी– वार्ड नं. 01, अमरकंटक रोड़, धनपुरी, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 50,274 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.608 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 496/1, ग्राम तरंग, तहसील– पुष्पराजगढ़, जिला– अनूपपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 752 वी बैठक दिनांक 15.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 752 वी बैठक दिनांक 15.05.2024 में लिये गये निर्णयानुसार तैयार किये गये स्टैण्डर्ड टॉर की अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) सहित प्रकरण में ToR जारी किया जाये, आवेदक को सूचित किया जावे :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन प्रस्तुत खसरा पंचशाला में खसरा नम्बर दर्शित नहीं है, अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए प्रतिवेदन के साथ अभिप्रमाणित खसरा पंचशाला प्रस्तुत किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में एकल प्रमाण पत्र खनिज अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत किया गया है जो कि मान्य नहीं है, अतः जिला कलेक्टर द्वारा जारी किया गया एकल प्रमाण पत्र ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

III. **खनन कार्य के दौरान उपयोग किये जाने वाले भूमिगत पानी के संबध मे सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।**

IV. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा रैन वाटर हारवेस्टिंग एवं वेस्ट डिसपोजल का विधवत प्लान तैयार कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।**

V. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य 6 मीटर गहराई या इससे अधिक गहराई/ ब्लास्टिंग, के संबध में पूर्व नियमानुसार DGMS की अनापत्ति प्राप्त ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।**

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

11.02.25

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**